

## कार्यालय जिला पंचायत, सम्मल।

पत्रांक 178 /जि0पं0/स्टोर-नाजिर/2021-22

दिनांक 16/08/2021

### सार्वजनिक कुटेशन सूचना

समस्त ट्रेवलिंग एजेन्सीज/वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत, सम्मल के प्रयोगार्थ एक इनोवा (02 वर्ष तक पुरानी) टैक्सी परमिट कार अच्छी कंडीशन में (तेल रहित) किराये पर कार्यालय जिला पंचायत, सम्मल को आवश्यकता है। इच्छुक ट्रेवलिंग एजेन्सी/वाहन स्वामी अपना इनोवा वाहन का कुटेशन प्रतिदिन की दर से (औसत माईलेज ए०सी० एवं नॉन ए०सी० में) जी०एस०टी० व चालक सहित दिनांक 31.08.2021 समय 12:00 तक बन्द लिफाफे में आवश्यक अभिलेखों (आर.सी., बीमा, टैक्सी परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं चालक का लाईसेन्स/आधार कार्ड) के साथ कार्यालय जिला पंचायत, सम्मल (निकट बॉके विहारी धाम, बहजोई) में अमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय 03:00 बजे उपस्थित कुटेशनदाताओं के समक्ष कुटेशन समिति द्वारा खोले जायेंगे। वाहन के शासकीय उपयोग अवधि में यदि कोई टूट-फूट अथवा क्षति होती है तो उसके लिए वाहन स्वामी स्वयं पूर्ण उत्तरदायी होगा। वाहन स्वामी का वाहन एवं ड्राईवर अनुबन्ध की अवधि से अध्यक्ष, जिला पंचायत, सम्मल के नियंत्रण में रहेगा। उक्त वाहन पूर्णतः कार्यालय पंचायत, सम्मल के अधीन रहेगा। अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में एवं पोर्टल <http://sambhal.nic.in> पर देखी जा सकती है। कुटेशन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, सम्मल

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक त्रिकवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (ए.आर.टी.ओ.) सम्मल।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सम्मल (बहजोई) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 3- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान, बहजोई को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में आगामी अंक में (केवल अंकन 5000/- रू० की सीमा तक) एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित करा कर जिला सूचना अधिकारी, सम्मल से दरें प्रमाणित कराने के उपरान्त बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- कुटेशन समिति, जिला पंचायत, सम्मल को सूचनार्थ।
- 5- नाजिर, जिला पंचायत, सम्मल को जिला पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, सम्मल